न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी जिला नागौर
बईजलास श्री सुरेश कुमार आर.ए.एस
मुकदमा संख्या 34/24

प्रार्थी :–
1– श्रवणसिंह पुत्र हीरसिंह जाति राजपूत
निवासी डोडीयाना तहसील रियांबड़ी

अप्रार्थीगण
1–तहसीलदार रियांबड़ी
2–पटवारी हल्का डोडीयाना तहसील रियांबड़ी
3–सरपंच ग्राम पंचायत डोडीयाना तहसील रियांबड़ी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राज.भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक :– 26/12/2024

प्रार्थी निम्न प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता है :–

1–यह है कि मौजा डोडीयाना के खसरा नंबर 844 रकबा 0.1200 हैक्टर गै.मु.रास्ता व खसरा नंबर 1566/843 रकबा 0.6700 हैक्टर किस्म बारानी. द्वितीय 2 स्थित है। जो राजकीय भूमि है। खतौनी नकल संलग्न है।

2–यह है कि अभी वर्तमान सेटलमेंट में राजस्व कर्मचारीयों ने राजस्व नक्शा में खसरा नंबर 1566/843 रकबा 0.6700 हैक्टर को खसरा नंबर 844 रकबा 0.1200 हैक्टर गै.मु.रास्ता के स्थान पर दर्शित कर दिया तथा खसरा नंबर 844 को खसरा नंबर 1566/843 के स्थान पर दर्शित कर दिया। जो एक महज लिपिकीय भूल है। जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। नकल खतौनी व ट्रेस नक्शा की प्रति संलग्न है।

3–यह है कि प्रार्थी ने इस अशुद्वि को दुरूस्त करवाने के लिए अप्रार्थीगण को कई बार कहा,मगर अप्रार्थीगण हमेशा प्रार्थी को आश्वासन देते रहे है। मगर अब अप्रार्थीगण इंकार हो गये है। जिससे प्रार्थी को उक्त रेकर्ड को दुरूस्त करवाने हेतू यह प्रार्थना पत्र पेश है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मौजा डोडीयाना के खसरा नंबर 844 रकबा 0.1200 हैक्टर गै.मु.रास्ता को ट्रैस नक्शा में खसरा नंबर 1566/843 के स्थान पर दर्शित किया जावें तथा खसरा नंबर 1566/843 को खसरा नंबर 844 के स्थान पर दर्शित किया जाकर राजस्व रेकार्ड दुरूस्त किया जावें।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को तहसीलदार रियांबड़ी को जांच हेतू भिजवाया गया। जो बाद जांच के प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार रियांबड़ी ने अपनी जांच रिपोर्ट में अवगत कराया गया कि :–

1–यह है कि मौजा डोडीयाना के खसरा नंबर 844 रकबा 0.12 हैक्टर किस्म बा.2 व खसरा नंबर 1566/843 रकबा 0.67 हैक्टर किस्म बा.2 स्थित है जिसकी खातेदारी ग्राम पंचायत डोडीयाना हिस्सा पूर्ण चारागाह व अन्य सामान्य काम हेतू दर्ज है। जमाबंदी नकल संलग्न है।

2–यह है कि भू प्रबंध विभाग द्वारा पुराने खसरा नंबर 461 के नया खसरा नंबर 843,पुराने खसरा नंबर 1360/461 के नया खसरा नंबर 844 व पुराने खसरा नंबर 1122/461 के भी नया खसरा नंबर 850 कायम किये गये। पुराने खसरा नबर 1360/461 की किस्म नामान्तकरण संख्या 1412 द्वारा रकबा 15 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज हुई थी। नये खसरा नबर 1566/843 का रकबा 0.12 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जाना व नये खसरा नबर 844 का रकबा 0.67 हैक्टर किस्म बा.2 दर्ज किया जाना पटवारी व भूअनि की रिपोर्ट अनुसार उचित है।

3–यह है कि यह अशुद्वि भू प्रबंध कार्य के दौरान हुई थी। भू प्रबंध की अशुद्वि को शुद्व किया जाना माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है।

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला – नागौर

4—यह है कि ग्राम डोडीयाना के खसरा नंबर 1566/843 का रकबा 0.12 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जाना व खसरा नंबर 844 का रकबा 0.67 हैक्टर किस्म बा.2 दर्ज किया जाना सही है।

खसरा नंबर 844 व 1566/843 की खातेदारी ग्राम पंचायत डोडीयाना के नाम दर्ज है। वादी के ग्राम पंचायत डोडीयाना को पक्षकार नहीं बनाया गया है। ग्राम पंचायत डोडीयाना को पक्षकार बनाकर सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए शुद्धि का आदेश फरमाया जावें।

तहसीलदार रियांबड़ी की जांच रिपोर्ट अनुसार ग्राम पंचायत डोडीयाना को पक्षकार बनाने का निवेदन किया गया जिस पर ग्राम पंचायत डोडीयाना को अप्रार्थी सख्या 3 बनाया गया। सरपंच ग्राम पंचायत डोडीयाना ने दिनांक 10.12.2024 को उपस्थित होकर अपना जबाब पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में बताया गया कि नवीन सेटलमेंट करते वक्त मौजा डोडीयाना के खसरा नंबर 844 रकबा 0.12 हैक्टर किस्म बा.2 व खसरा नंबर 1566/843 रकबा 0.67 हैक्टर किस्म बा.2 स्थित है जिसकी खातेदारी ग्राम पंचायत डोडीयाना हिस्सा पूर्ण चारागाह व अन्य सामान्य काम हेतू दर्ज है। भू प्रबंध विभाग द्वारा पुराने खसरा नंबर 461 के नया खसरा नंबर 843,पुराने खसरा नंबर 1360/461 के नया खसरा नंबर 844 व पुराने खसरा नंबर 1122/461 के भी नया खसरा नंबर 850 कायम किये गये। पुराने खसरा नंबर 1360/461 की किस्म नामान्तकरण संख्या 1412 द्वारा रकबा 15 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज हुई थी। नये खसरा नंबर 1566/843 का रकबा 0.12 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जाना व नये खसरा नंबर 844 का रकबा 0.67 हैक्टर किस्म बा.2 दर्ज किया जाना पटवारी व भूअनि की रिपोर्ट अनुसार उचित है। इस पर ग्राम पंचायत डोडीयाना द्वारा कोई आपत्ति नहीं की है। सहमति प्रकट की गई है।

अतः मौजा डोडीयाना के खसरा नंबर 844 रकबा 0.12 हैक्टर गै.मु.रास्ता को ट्रेस नक्शा में खसरा नंबर 1566/843 के स्थान पर दर्शित किया जावें तथा खसरा नंबर 1566/843 को खसरा नंबर 844 के स्थान पर दर्शित किया जाकर राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त किया जावें।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड व तहसीलदार की जांच रिपोर्ट व ग्राम पंचायत का जबाब का अवलोकन किया गया। समस्त विवेचन से यह पाया जाता है कि तहसीलदार रियांबड़ी द्वारा ग्राम पंचायत को पक्षकार बनाया जाकर उनकी सुनवाई की जाकर रेकर्ड दुरूस्त किया जाना उचित बताया गया है। तथा ग्राम पंचायत ने भी उक्त अशुद्वि को शुद्व किये जाने पर अपनी सहमति जाहिर की गई है। तहसीलदार की जांच रिपोर्ट के अनुसार संशोधन किया जाने का निवेदन किया गया है। सेटलमेंट विभाग द्वारा पुराने खसरा नंबरो के नये खसरा नंबर कायम करते वक्त नक्शा ट्रेस में गलत तरमीम सहवन से हो गई।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 136 एल आर एक्ट का तहसीलदार की जांच रिपोर्ट व सरपंच ग्राम पंचायत डोडीयाना के जबाब के आधार पर राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त किये जाने के आदेश दिया जाता है कि :—

:: आदेश ::

" मौजा डोडीयाना के खसरा नंबर 844 रकबा 0.12 हैक्टर गै.मु.रास्ता को ट्रेस नक्शा में खसरा नंबर 1566/843 के स्थान पर दर्शित किया जावें तथा खसरा नंबर 1566/843 रकबा 0.67 हैक्टर को खसरा नंबर 844 के स्थान पर दर्शित किया जाकर राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त किया जावें। तहसीलदार रियांबड़ी उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड व ट्रेस नक्शा में संशोधन किया जाकर राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त किया जावें। इसी आशय की तहरीर तहसीलदार रियांबड़ी को जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26/12/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेशकुमार)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला — नागौर